न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 श्योपुर

1. रघुवीर सिंह पुत्र भैरों सिंह ठाकुर,
2. पवन सिंह
3. जितेन्द्र सिंह पुत्रगण रघुवीर सिंह ठाकुर, निवासी–ग्राम कराहल, तहसील कराहल, श्योपुर

..... आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन ..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 07/2012–13 शासन बनाम रघुवीर सिंह आदेश दिनांक 29.03.2014 को पारित।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो प्रकरण पंजीबद्ध किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, निगरानीकर्तागणों को विवादित आराजी पूर्व में बेहड थी जिसे प्रार्थीगणों ने मेहनत व लागत लगाकर भूमि बंजर उपजाऊ होकर कृषि योग्य बनाया, प्रार्थी का उक्त आराजी पर पुरातन समय से कब्जा होकर खेती करते आ रहे, बाद में वैधानिक रीति से तहसीलदार कराहल ने दिनांक 14–12–2001 व्यवस्थापित भूमि दी गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने 2001 के आदेश के खिलाफ 2013 में स्व. निगरानी में लेकर जो कार्यवाही की वह अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश के खिलाफ 13 वर्षो बाद समय के बाहर जो कार्यवाही की वह निरस्त किये जाने योग्य होने से खारिज करने की कृपा करें।
6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय निगरानी प्रकरण संस्थित के समय 13 वर्ष बाद प्रतिदिन प्रतिवर्ष का कारण सहित लेट कार्यवाही का स्पष्टीकरण बिना जो कार्यवाही शुरू की वह निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1272--एक/14 जिला –श्योपुर

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
5.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 7/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.3.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा– 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त सारांश यह है कि तत्कालीन तहसीलदारों तहसील कराहल द्वारा किये गये पटट्ो की शिकायत आने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कराहल का जांच प्रतिवेदन कमांक /2014/505 दिनांक 17.6.13 में उल्लेख किया कि तहसीलदार कराहल द्वारा प्रकरण कमांक 18/2000–01 अ–19 आदेश दिनांक 14.12.01 से ग्राम कराहल की भूमि सर्वे कमांक 333/मिन 6/क/1 रकवा 1.881 है0 का रघुबीर पुत्र भेंरोसिंह ठाकुर के नाम सन्रे कमांक 333/मिन 6/क/2 रकवा 1.881 है0 का पवन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ठाकुर एवं सन्रे कमांक 333/मिन 6/क/3 रकवा 1.881 है0 जितेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ठाकुर के नाम समस्त निवासीगण ग्राम कराहल एक ही परिवार के पिता/पुत्रों/सदस्यों के नाम भूमि का व्यवस्थापन स्वीकार किया गया है जो विधि विरूद्व है। उक्त विधि विरूद्व किये गये व्यवस्थापन संबंधी आदेश का अमल तहसीलदार कराहल द्वारा प्रकरण कमांक 711/12–13/बी–121 आदेश दिनांक 2.5.13 द्वारा किया गया है जो विधि विरूद्व है। उक्त व्यवस्थापन एवं विधि विरूद्व किये गये अमल संबंधी उक्त दोनों प्रकरणो को स्वमेव

निगरानी में अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा लिया जाकर अपने प्रकरण कमांक 7/स्व0 निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.3.14 के द्वारा निरस्त किया गया है जिसके विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदकगणों को विवादित आराजी पूर्व में बेहड थी जिसे मेहनत व लागत लगाकर भूमि बंजर उपजाऊ हो कृषि योग्य बनाया गया था। आवेदकगणों का पुरातन समय से कब्जा होकर खेती करते चले आ रहे थे बाद में वैधानिक रीति से तहसीलदार कराहल ने दिनांक 14.12.01 व्यवस्थापित भूमि दी गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर जो आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार किया जावे।

4– शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विध के अनुसार सही है उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की गुंजाईस नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे, तथा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश का अध्ययन करने पर उनके द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार द्वारा कब्जे के आधार पर पटटा स्वीकृत करने का उल्लेख किया गया है। किन्तु उक्त प्रकरण में संलग्न खसरा पंचशाला संवत 2056 से 2060 में अनावेदकगणों का कहीं भी कब्जे के रूप में उल्लेख नहीं है। पटवारी मौजा ने अपने कथन में 10 वर्ष पूर्व से अनावेदकों को अतिक्रमण के रूप में बताया हे एवं साक्षियों ने भी अपने कथन में करीब 12 वर्ष से अनावेदकगणों

को खेती करने का उल्लेख किया है। किन्तु उक्त अतिकमण के रूप में एवं कब्जे के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदकगणों का उक्त भूमि पर पूर्व से कब्जा नहीं था। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से संतुष्ट हूॅ और तहसीलदार द्वारा दिये गये पटटे अपरं कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा आदेश दिनांक 29.3.14 स्थिर रखा जाता है एवं आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सरहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालयों में भेजी जावे।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य